



न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०, ग्वालियर

(11)

प्र०क० निगरानी-5118/2018/टीकमगढ़/भू-रा०

1- ग्यासी तनय परसादी चमार

2- चतरा तनय परसादी चमार

दोनों निवासी - ग्राम मकारा, तहसील
निवाड़ी, जिला टीकमगढ़, म०प्र०

— आवेदकगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

— अनावेदक

श्री 2जनी अक्षिण्ड हार्त
21/8/18 2550 स्वा
5-9-18

21-8-18

R.V.S.
21/8/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक
03.10.2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्रकरण
कमांक 100/बी-121/2015-16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदकगण को ग्राम मकारा,
तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 126/1 रकवा 0.810
हैक्टेयर भूमि का पट्टा शामिल रूप में आवेदक ग्यासी एवं चतरा को 2 अक्टूबर
1984 के प्रावधान के तहत कब्जे के आधार पर तहसीलदार निवाड़ी द्वारा प्रकरण
कमांक 424/अ-19/84-85 में पारित आदेश दिनांक 29.12.1985 द्वारा पट्टा

G.A. of me
Received
21/8/18

3

R.V.S.

(1)

निगरानी 5118/2018 वी.एम.गद बुरा
प्यासी, पतरा 13 म.प्र.आसन

11.9.2018 - प्रकल्प प्रस्तुत | दिनांक 5/9/18

को आवेदक अधिकारक श्रमिती
रजनी-वाशिष्ठ शर्मा को सुनो
जा चुका है।

- मेरे द्वारा अधीकरण विषय आमुक्त
का आवेदन दिनांक 3/4/2017 का
अध्ययन किया गया। आवेदक के
द्वारा पढ़े की शक्ति है चाले हुए
नहलीकरण को आवेदन दिया था,
जिसके बंद की के अधीकरण
18/2/2014 के राजस्व विभाग
के परिपत्र से उन्हें नहीं रह गये
हैं। जिस कारण से आवेदक
उनके द्वारा अग्रहण किया गया
है। उक्त आवेदन को SD. व
Addl Commissioner ने भी
Maintain किया है।

- अतः अपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उक्त
Revision अग्रहण की जा रही
है। Addl. Commissioner के आदेश
में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
11.9.2018

(2)